

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
20.11.2019 के
अतारांकित प्रश्न सं. 626 का उत्तर

विश्व स्तरीय स्टेशन

626. श्रीमती केशरी देव पटेल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विश्व स्तरीय स्टेशनों के रूप में विकसित करने हेतु चिन्हित रेलवे स्टेशनों की संख्या और ब्यौरा क्या है;
- (ख) विकास कार्य किन संगठनों को सौंपा गया है और यह कार्य कितने वर्षों के लिए सौंपा गया है तथा इसकी अनुमानित लागत कितनी है एवं तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) इन चिन्हित स्टेशनों को विश्व स्तरीय स्टेशनों के रूप में कब तक विकसित किया जाएगा?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विश्व स्तरीय स्टेशन के संबंध में दिनांक 20.11.2019 को लोक सभा में श्रीमती केशरी देव पटेल के अतारांकित प्रश्न संख्या 626 के भाग (क) से (ग) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ग): रेल मंत्रालय द्वारा भारतीय रेल स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी), रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) और अन्य केंद्र सरकार की एजेन्सियों के माध्यम से रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की योजना बनाई गई है। भारतीय रेल के सभी बड़े स्टेशनों को तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए इन एजेन्सियों को सौंप दिया गया है। इन व्यवहार्यता अध्ययनों के परिणामों के आधार पर स्टेशनों का, चरणों में, पुनर्विकास करने की योजना है।

स्टेशनों पर और उसके आसपास की खाली भूमि/ वायु क्षेत्र के वाणिज्यिक विकास का उपयोग करके स्टेशनों के पुनर्विकास की योजना है अर्थात् स्टेशन पुनर्विकास परियोजनाओं की लागत सामान्यतः रेलों को वहन नहीं करनी होगी।

हबीबगंज (भोपाल) और गांधीनगर स्टेशनों के पुनर्विकास के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। रेल मंत्रालय द्वारा ओडिशा सरकार के सहयोग से भुवनेश्वर स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है। देहरादून रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए रेल भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) के साथ भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अप्रैल, 2019 में अजनी (नागपुर) स्टेशन का मल्टी-मॉडल हब के रूप में पुनर्विकास के लिए रेल भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

स्टेशन पुनर्विकास परियोजनाएं अपनी किस्म की पहली परियोजनाएं हैं और जटिल किस्म की हैं तथा इनके लिए विस्तृत तकनीकी-वित्तीय व्यवहार्यता अध्ययन और स्थानीय निकायों से सांविधिक स्वीकृतियां आदि अपेक्षित हैं। अतः फिलहाल किसी समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया जा सकता।
